

परिणामी बजट वर्ष 2024-25

विभाग- समाज कल्याण विभाग

विभागाध्यक्ष- संचालक, समाज कल्याण

राशि हजार ₹ में

क्र.	योजना/कार्यक्रम का नाम	उद्देश्य/परिणाम	बजट प्रावधान 2024-25	क्वांटिफायेबल डिलीवरेबल्स	टिप्पणियां
1	सुखद सहारा योजना	गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले परिवार के 18 से 39 वर्ष आयु वर्ग के विधवा तथा 18 वर्ष या अधिक आयु के परित्यक्ता महिलाओं को राशि 350 प्रतिमाह पेंशन भुगतान की जाती है।	1368000	लगभग 222580 हितग्राही लाभान्वित होंगे ।	
2	सामाजिक सुरक्षा और कल्याण	राज्य शासन द्वारा गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले परिवार के निम्नलिखित श्रेणी के व्यक्तियों को राशि रु. 500 प्रतिमाह पेंशन दी जाती है:- (1) 6-17 आयु वर्ष के निःशक्त बच्चे (जिसमें 6-14 आयु वर्ष के बच्चे अध्ययनरत हों) (2) 18 वर्ष या अधिक आयु के सामान्य निःशक्त व्यक्ति एवं बौने व्यक्ति	5594550	लगभग 455986 हितग्राही लाभान्वित होंगे ।	
3	मुख्यमंत्री पेंशन योजना	मुख्यमंत्री पेंशन योजना हेतु ग्रामीण क्षेत्र के लिए एस.ई.सी.सी.-2011 का स्वतः शामिल सूचकांक तथा वचन सूचकांक के कम से कम एक वचन सूचकांक के साथ वाले परिवार को शामिल करते हुए वृद्धजनों, विधवा/परित्यक्त महिलाओं के लिए राशि रु. 500/- प्रतिमाह पेंशन दी जाती है।	4200000	692195 हितग्राही लाभान्वित होंगे ।	
4	राष्ट्रीय परिवार सहायता योजना	योजना अंतर्गत गरीबी रेखा के नीचे जीवनयापन करने वाले परिवार के मुखिया की मृत्यु हो जाने पर परिवार के वारिस को रुपये 20000/- एक मुश्त आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है ।	247212	लगभग 5370 हितग्राही लाभान्वित होंगे ।	

परिणामी बजट वर्ष 2024-25

विभाग- समाज कल्याण विभाग

विभागाध्यक्ष- संचालक, समाज कल्याण

राशि हजार ₹ में

क्र.	योजना/कार्यक्रम का नाम	उद्देश्य/परिणाम	बजट प्रावधान 2024-25	क्वांटिफायेबल डिलीवरेबल्स	टिप्पणियां
5	राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन	योजना अंतर्गत गरीबी रेखा के नीचे जीवनयापन करने वाले 60-79 आयु वाले वृद्धों के लिए रुपये 500 प्रतिमाह तथा 80 वर्ष या अधिक आयु वाले के लिए रुपये 650 प्रतिमाह की दर से पेंशन प्रदाय	2029215	60-79 वर्ष के 571817 हितग्राही तथा 80 वर्ष या अधिक आयु के 97633 हितग्राही, इस प्रकार कुल 669450 हितग्राही लाभान्वित होंगे ।	
6	इंदिरागांधी राष्ट्रीय विधवा पेंशन	गरीबी रेखा के नीचे जीवनयापन करने वाले 40 से 79 वर्ष तक के आयु वाली विधवा को रु. 500/-प्रतिमाह की दर से पेंशन प्रदाय	815772	40 से 79 वर्ष वर्ग के लगभग 216391 हितग्राही लाभान्वित होंगे ।	
7	इंदिरागांधी राष्ट्रीय दिव्यांग पेंशन	गरीबी रेखा के नीचे जीवनयापन करने वाले 18 से 79 वर्ष तक के आयु वाले गंभीर एवं बहु दिव्यांग व्यक्ति के लिये रु. 500/-प्रतिमाह की दर से पेंशन प्रदाय	126084	34484 हितग्राही लाभान्वित होंगे ।	
8	नगरीय निकाय क्षेत्रों में सामाजिक सुरक्षा पेंशन का बायोमेट्रीक से भुगतान हेतु अनुदान	पेंशन योजनाओं की पेंशन की राशि के भुगतान में पारदर्शिता लाने एवं समय में भुगतान सुनिश्चित करना ।	100	पेंशन योजनाओं की पेंशन राशि भुगतान पारदर्शिता लाने एवं समय में भुगतान सुनिश्चित करना	
9	निःशक्तजनों की सहायता के लिए योजना	योजना अंतर्गत निःशक्त व्यक्तियों को कृत्रिम अंग उपकरण प्रदाय करना	60000	45 संस्थाओं को अनुदान - भवन किराया कुल व्यय 70 प्रतिशत, कार्यालय व्यय 2000/- - अंतःवासी के भरणपोषण हेतु रु. 600/- प्रतिमाह - कर्मचारियों का वेतन/मानदेय - लाभान्वित हितग्राहियों की संख्या 2954 - भवन किराया का कुल व्यय का 70 प्रतिशत एवं कार्यालय व्यय पर अधिकतम रु 2000	

परिणामी बजट वर्ष 2024-25

विभाग- समाज कल्याण विभाग

विभागाध्यक्ष- संचालक, समाज कल्याण

राशि हजार ₹ में

क्र.	योजना/कार्यक्रम का नाम	उद्देश्य/परिणाम	बजट प्रावधान 2024-25	क्वांटिफायेबल डिलीवरेबल्स	टिप्पणियां
10	बिलासपुर में जिला पुनर्वास केन्द्र की स्थापना	निःशक्त व्यक्तियों को प्रशिक्षण एवं पुनर्वास	31165	निःशक्त व्यक्तियों को प्रशिक्षण देना एवं पुनर्वास	
11	फिजिकल रिफरल रिहबिलीटेशन सेंटर की माना में स्थापना	अत्याधुनिक कृत्रिम अंग निर्माण केन्द्र की स्थापना	15972	470 हितग्राहियों को लाभान्वित	
12	विश्व दिव्यांग दिवस	विश्व दिव्यांग दिवस के अवसर पर दिव्यांगों को प्रोत्साहित करने हेतु व्यक्तियों/संस्थाओं को पुरस्कार दिये जाने का प्रावधान	1500	1. सर्वोत्तम निःशक्त व्यक्ति 5001/- 2. सर्वोत्तम नियोक्ता (निःशक्त व्यक्तियों के संदर्भ में रुपये 10000/-) 3. सर्वोत्तम स्वैच्छिक संस्था रुपये 5000/- 4. सर्वोत्तम जिला-शिल्ड	
13	प्रमस्तिष्क अंगाघात निःशक्तजनों हेतु उपचार एवं पुनर्वास संस्थान	प्रमस्तिष्क अंगाघात (सेलेब्रल पॉलिसी के निःशक्तजनों को उपचार एवं पुनर्वास सेवाएं उपलब्ध कराना)	15665	सेलेब्रल पॉलिसी के निःशक्तजनों को उपचार एवं पुनर्वास सेवाएं उपलब्ध करायी जावेगी लाभान्वित हितग्राही की संख्या-241 फॉलोअप वर्षभर की संख्या 3164 (सिटिंग मरीज)	
14	प्रशामक गृह की स्थापना	वृद्धावस्था के कारण गंभीर बीमारी (जैसे-डिमेशिया) एवं बिस्तर पर पड़े व्यक्ति/अंतिम अवस्था में पहुँचे व्यक्तियों के देखभाल के लिए 50 विस्तर वाले प्रमाशक देखरेख गृह की व्यवस्था	7500	25 विस्तर वाले प्रशामक गृह प्रदेश के समस्त जिलों में स्थापित करने का प्रस्ताव है ।	
15	निःशक्त सामर्थ्य विकास	निःशक्त सामर्थ्य विकास अंतर्गत शारिरिक रूप से निःशक्त व्यक्ति को कृत्रिम अंग, सहायक उपकरण एवं ट्रायसायकल निःशुल्क प्रदाय किया जाता है	38000	1107 हितग्राही लाभान्वित होंगे ।	
16	स्थानीय स्तर समिति को सहायता	राष्ट्रीय न्यास अधिनियम के अंतर्गत जिलों में	350		

परिणामी बजट वर्ष 2024-25

विभाग- समाज कल्याण विभाग

विभागाध्यक्ष- संचालक, समाज कल्याण

राशि हजार ₹ में

क्र.	योजना/कार्यक्रम का नाम	उद्देश्य/परिणाम	बजट प्रावधान 2024-25	क्वांटिफायेबल डिलीवरेबल्स	टिप्पणियां
		स्थानीय स्तर पर लोकल लेवल कमेटी का गठन		जिलों को रु. 20000 का अंशदान दिया जाता है	
17	दृष्टि एवं श्रवण बाधितार्थों के लिए शालाएं तथा संस्थाएं	बौद्धिक मंदता वाली बालिकाओं के लिए सरगुजा, नारायणपुर एवं बालकों हेतु बीजापुर, दृष्टि एवं श्रवण बाधित बालक/ बालिकाओं के लिए जशपुर तथा श्रवण बाधित बालक/बालिकाओं के लिए विशेष विद्यालय जशपुर, नारायणपुर, बीजापुर, दंतेवाड़ा, राजनांदगांव, कोरिया, महासमुन्द एवं कांकर में बच्चों को शिक्षा के माध्यम से स्वावलंबी बनाना।	273500	450 बच्चों के लिए शिक्षण-प्रशिक्षण की व्यवस्था	
18	निःशक्त कल्याण कोष का गठन	निःशक्त व्यक्तियों को स्वावलंबी बनाने के लिए विभिन्न आवश्यक कार्यों का सम्पादन करना	1800	निःशक्त व्यक्तियों का कौशल उन्नयन संसाधनों का वितरण एवं अन्य सुसंगत कार्य।	
19	राष्ट्रीय पुनर्वास कार्यक्रम निःशक्तजन	ग्रामीण क्षेत्र के निःशक्त व्यक्तियों को उनके निवास तक सेवाएं व संसाधन उपलब्ध कराना	23260	विभागीय योजनाओं के तहत कुल 15876 दिव्यांगजनों को लाभान्वित किया जावेगा	
20	समाज कल्याण महिला बाल कल्याण संस्थाओं को सहायता अनुदान	देखरेख की अपेक्षा रखने वाले बच्चों निराश्रित महिलाओं एवं भिक्षुओं का संरक्षण, शिक्षण, प्रशिक्षण, उपचार एवं पुनर्वास की व्यवस्था की जाती है।	7500	प्रदेश के 250 देखरेख की आवश्यकता वाले बच्चों, निराश्रित महिलाओं एवं भिक्षुओं को लाभांवित करना।	
21	अंध, मूक एवं बधिर शालाओं को अनुदान (स्वैच्छिक संस्थाओं को अनुदान)	निःशक्त कल्याण के क्षेत्र में संचालित स्वैच्छिक संस्थाओं को अनुदान जिसमें उनके शिक्षण प्रशिक्षण, आवास व पुनर्वास की व्यवस्था की जाती है ।	20000	42 स्वैच्छिक संस्थाओं को अनुदान । अतःवासी बच्चों के भरण-पोषण हेतु रूपये 600/-प्रति हितग्राही प्रतिमाह भवन किराया कुल व्यय का 70 प्रतिशत एवं कार्यालय व्यय पर अधिकतम रूपये 2000 कर्मचारियों का वेतन/मानदेय	

परिणामी बजट वर्ष 2024-25

विभाग- समाज कल्याण विभाग

विभागाध्यक्ष- संचालक, समाज कल्याण

राशि हजार ₹ में

क्र.	योजना/कार्यक्रम का नाम	उद्देश्य/परिणाम	बजट प्रावधान 2024-25	क्वांटिफायेबल डिलीवरेबल्स	टिप्पणियां
22	उत्थान सब्सिडी योजना	निःशक्त जनों को ऋण पर सब्सिडी	1400	100 हितग्राही को लाभान्वित करने का प्रावधान है ।	
23	वरिष्ठ नागरिक सहायता योजना	वरिष्ठ नागरिकों का सम्मान, प्रचार-प्रसार एवं वृद्धाश्रम बहुसेवा केंद्र संचालन	41502	710 वरिष्ठ नागरिकों को सम्मान, संरक्षण एवं सुरक्षा	
24	तृतीय लिंग समुदाय के पुनर्वास हेतु कार्यक्रम	तृतीय लिंग कल्याण बोर्ड, पृथक से अधिनियम, वास्तविक आकड़ों के संबंध सर्वे, जनजागरूकता हेतु प्रचार-प्रसार, सम्मेलन, कार्यशाला इत्यादि कार्य किये जायेंगे ।	8930	- छत्तीसगढ़ तृतीय लिंग कल्याण बोर्ड का गठन - राज्य में तृतीय लिंग समुदाय के वास्तविक आकड़ों के संबंध में सर्वेक्षण । - छत्तीसगढ़ शासन द्वारा संचालित विभिन्न योजनाओं से समन्वय - छत्तीसगढ़ राज्य में तृतीय लिंग समुदाय के प्रति जनजागरण हेतु प्रचार-प्रसार	
25	बुजुर्गों को संरक्षण	बुजुर्गों के लिए माता-पिता एवं वरिष्ठ नागरिकों का भरण पोषण तथा कल्याण अधिनियम 2007 का सुदृढीकरण एवं वरिष्ठ नागरिकों के लिए केन्द्रों की स्थापना	9000	100 हितग्राही को लाभान्वित करने का प्रावधान है ।	
26	निःशक्तता स्वाभिमान एवं संबल योजना	निःशक्त व्यक्तियों के लिए चिकित्सा कौशल उन्नयन, उद्यमिता विकास एवं दीर्घ कालिक आर्थिक अधिकारिता विकसित करने हेतु आर्थिक सहायता	12000	100 हितग्राही को लाभान्वित करने का प्रावधान है ।	
27	अंधमूक बंधियों को वृत्तियां	निःशक्त बच्चों को छात्रवृत्ति प्रदान कर उन्हें शिक्षा प्राप्त करने में सहयोग प्रदान करना।	25800	8090 विकलांग छात्र/छात्राओं को प्रतिमाह छात्रवृत्ति प्रदान करना	
28	निःशक्त शिक्षा प्रोत्साहन योजना	निःशक्त व्यक्तियों को शिक्षा हेतु आर्थिक सहायता प्रदान, बौद्धिक विकास को बढ़ावा, सामाजिक पुनर्वास आर्थिक स्वावलंबन को	2500		

परिणामी बजट वर्ष 2024-25

विभाग- समाज कल्याण विभाग

विभागाध्यक्ष- संचालक, समाज कल्याण

राशि हजार ₹ में

क्र.	योजना/कार्यक्रम का नाम	उद्देश्य/परिणाम	बजट प्रावधान 2024-25	क्वांटिफायेबल डिलीवरेबल्स	टिप्पणियां
		विकसित करना		माध्यमिक परीक्षा (दसवीं) सर्वाधिक अंक 5000 एकमुश्त स्नातक/स्नातकोत्तर (कला वाणिज्य विज्ञान) न्युनतम 50 प्रतिशत अंक 6000 एकमुश्त चिकित्सकीय/तकनीकी/व्यवसायिक 50 प्रतिशत अंक 12000 एकमुश्त प्रदान की जाती है	
29	निःशक्तजन सिविल सेवा प्रोत्साहन योजना	निःशक्त जन सिविल प्रोत्साहन योजना का क्रियान्वयन	1500	निःशक्तजन सिविल सेवा के क्षेत्र में प्रेरित करने आर्थिक सहयोग प्रदान करना तथा समाज की मुख्यधारा में जोड़कर उनका सामाजिक पुनर्वास करना	
30	निःशक्तजनों का प्रशिक्षण एवं ऑनलाईन पंजीयन	निःशक्तजनों का शतप्रतिशत प्रमाणीकरण, पात्र निःशक्तजनों का ऑनलाईन पंजीकरण यूनिक आई.डी. नम्बर प्रदान कर डाटाबेस तैयार करना एवं पर्यवेक्षण	20000	शासन द्वारा लाभान्वित योजनाओं के संदर्भ में एस.एम.एस के माध्यम से आटो अलर्ट प्रेषित किया जाना	
31	निःशक्त विद्यार्थी के लिये छात्रगृह योजना	निःशक्त व्यक्तियों को उच्च शिक्षा हेतु सहायता एवं अध्ययन का अवसर	300	40 प्रतिशत या उससे अधिक निःशक्तजन शिक्षण संस्थान से आवेदक का मूल निवास की दूरी 20 कि.मी. से अधिक हो	
32	निःशक्तजन विवाह प्रोत्साहन योजना	निःशक्त व्यक्तियों के सामाजिक पुनर्वास एवं उन्हें स्वालंबी बनाने हेतु निःशक्तजन विवाह प्रोत्साहन योजना 1 अप्रैल 2005 से लागू की गई है, एक निःशक्त व्यक्तियों को विवाह हेतु रू. 50,000/- तथा दोनो निःशक्त होने पर रू. 1,00,000/- राशि प्रोत्साहन राशि एकमुश्त देने का प्रावधान है ।	40000	18 वर्ष से 45 वर्ष तक महिलाएं 21 से 45 वर्ष पुरुष (निःशक्त) के विवाह हेतु प्रोत्साहन राशि प्रदान करना । लाभान्वित हितग्राहियों की संख्या-208	

परिणामी बजट वर्ष 2024-25

विभाग- समाज कल्याण विभाग

विभागाध्यक्ष- संचालक, समाज कल्याण

राशि हजार ₹ में

क्र.	योजना/कार्यक्रम का नाम	उद्देश्य/परिणाम	बजट प्रावधान 2024-25	क्वांटिफायेबल डिलीवरेबल्स	टिप्पणियां
33	भारतीय कृष्ट निवारक संघ संस्था को अनुदान	भारतीय कुष्ठ निवारण संघ जांजगीर में स्वैच्छिक संस्था संचालित	1400	कुष्ठ मुक्त व्यक्तियों का पुनर्वास	
34	घरौदा योजना	राष्ट्रीय न्यास अधिनियम 1999 के प्रावधानों के अंतर्गत राज्य में 18 वर्ष से अधिक आयु के निःशक्त व्यक्तियों को जीवन पर्यन्त आश्रय प्रदान करने हेतु घरौदा योजना प्रारंभ किया गया है	32500	05 संभाग में निःशुल्क आवासीय सुविधा प्रदान करना	
35	नशाबंदी कार्यक्रम	प्रदेश में नशामुक्ति के पक्ष में मादक द्रव्य एवं नशीले पदार्थों के दुष्परिणामों के विरुद्ध जागरूकता विकसित किया जाना	14528	रैली, पोस्टर, हॉडिंग्स, नाटक, गीत, नृत्य, प्रदर्शनी तथा शासकीय/अशासकीय कलाकारों सांस्कृतिक कार्यक्रम	
36	छत्तीसगढ़ योग आयोग	योग आयोग नियम-2017 के नियम 2(23) के अनुसार अपने उद्देश्य की पूर्ती के लिए संभाग, जिले, वि.ख. एवं नगर पंचायत स्तर पर आवश्यक उपाय एवं कदम उठाएगा।	50000	छत्तीसगढ़ राज्य के जिलावार, विकासखण्डवार एवं सभी 10976 ग्रामपंचायतों में नियमित योगाभ्यास कराया जाना	
37	जिला निःशक्त पुनर्वास केन्द्र	निःशक्त व्यक्तियों को पुनर्वास सेवाएं एवं संसाधन उपलब्ध कराना	13710	09 जिला निःशक्त केन्द्र स्थापित करने का लक्ष्य।	
38	हॉफ-वे-होम	मानसिक रोगियों का उपचार उपरांत उनके पुनर्वास के लिए केन्द्र का संचालन किया जाना	22500	ऐसे केन्द्रों में 50 हितग्राही के मान से पुनर्वास करने का प्रावधान है। वर्तमान में 160 हितग्राही लाभान्वित करने का लक्ष्य।	
39	मानसिक बीमार महिलाओं के लिए योजना (पारिजात)	मानसिक रोगियों का उपचार उपरांत उनके पुनर्वास के लिए केन्द्र का संचालन किया जाना	11120	ऐसे केन्द्रों में 50 हितग्राही के मान से पुनर्वास करने का प्रावधान है। वर्तमान में 160 हितग्राही लाभान्वित करने का लक्ष्य।	
40	भारत माता वाहिनी योजना	नशामुक्ति के पक्ष में महिलाओं द्वारा	100000		

परिणामी बजट वर्ष 2024-25

विभाग- समाज कल्याण विभाग

विभागाध्यक्ष- संचालक, समाज कल्याण

राशि हजार ₹ में

क्र.	योजना/कार्यक्रम का नाम	उद्देश्य/परिणाम	बजट प्रावधान 2024-25	क्वांटिफायेबल डिलीवरेबल्स	टिप्पणियां
		प्रचार-प्रसार एवं अन्य कार्यक्रम		महिला समूहों के माध्यम से नशामुक्ति के पक्ष में जनमत विकसित करना तथा विभिन्न माध्यमों से प्रचार-प्रसार करना	
41	सियान हेल्प लाईन टोल फ्री नम्बर	वरिष्ठ नागरिक दिव्यांगजनों, उभयलिंगी व्यक्तियों के कल्याणार्थ एवं पुनर्वास हेतु विभिन्न योजना/कार्यक्रम का संचालन	13000	आवश्यकता के अनुरूप आपातकालीन सेवायें, संसाधन, परामर्श, शिकायत एवं समस्याओं का त्वरित निराकरण हेतु विभागीय हेल्पलाइन 155326 एवं टोलफ्री नम्बर 188-233-8989 का संचालन किया जाना	
42	छत्तीसगढ़ राज्य केश शिल्पी कल्याण बोर्ड	केश शिल्पी अंतर्गत व्यवसाय में संलग्न संवर्गों के समग्र कल्याण एवं आर्थिक रूप से सशक्त बनाने केश शिल्पी बोर्ड का गठन किया गया है।	10000	लगभग 31 हितग्राहियों को प्रशिक्षण देने का लक्ष्य	